

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

कौशाम्बी/सहारनपुर/रामपुर/फैजाबाद/शाहजहांपुर/मथुरा/

सिद्धार्थनगर/हापुड/हमीरपुर/फिरोजाबाद प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

विषय: आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 की मुख्य लिखित परीक्षा में व्हाइटनर/ब्लेड के प्रयोग किये जाने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-587-588/2016 हनुमान दत्त शुक्ला व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2016 के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों का सामान्य आग्नशमन प्रशिक्षण कराये जाने तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

कृपया अवगत कराना है कि सीधी भर्ती-2013 के परीक्षा परिणाम फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित 1145 व 30 (कुल 1175) अभ्यर्थियों की सूची पुलिस उप महानिरीक्षक(स्थापना) उ0प्र0पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: दस-51-2013 दिनांक 19.09.2015 व 16.03.2016 व पुलिस अधीक्षक, कार्मिक के पत्र संख्या- दस-51-2013(16) दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से 154 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी। उक्त सभी चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है।

2. उक्त चयनित 1329 अभ्यर्थियों में से अब तक 567, 358, 114, 42, 39, 06, 06, 03, 54 व 74 (कुल 1263) अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर जनपद आवंटन कर, उनसे संबंधित पत्रावलियाँ जनपदों को प्रेषित की जा चुकी है तथा 24 अभ्यर्थी फायरमैन के पद पर नौकरी हेतु इच्छुक नहीं है।

3. उक्त 32 शेष अभ्यर्थियों में से अब तक पुनः 16 अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर उसने संबंधित पत्रालियों जनपदों से प्राप्त हुई हैं। इन 16 अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस भर्ती के संबंध में योजित रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन किया जाना है। इन सभी 16 अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन की सूची पत्र के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है। सूची, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी ओ0एम0आर0, आवेदन पत्र की प्रतिकृति मूलप्रति संबंधित अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन पत्रावली पर रखकर प्रेषित है। चयनित 16 अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के नजदीक/आस-पास आवंटन का उद्देश्य रखते हुए आवंटन निम्न किया जाता है:-

एफ0एस0-506-2015 रिक्रूट फायरमैन के जनपद आवंटन की सूची							
क्र0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	गृह जनपद	निवास/पत्राचार का पता	आवंटित जनपद
1	3379315	दीपक कुमार यादव	राजेन्द्र कुमार यादव	20.10.1994	इलाहाबाद	ग्राम-रामपुर, पोस्ट-सरायइनायत, जिला- इलाहाबाद, उ0प्र0-221505	कौशाम्बी
2	1888827	समशेर अली	शेर अली	05.02.1994	इलाहाबाद	ग्राम-मोहम्मदपुर झपिया, पोस्ट-बमरौली, थाना- धूमनगंज, जिला- इलाहाबाद, उ0प्र0-211012	कौशाम्बी
3	3593465	निशीष यादव	चरन यादव	22.03.1994	अमरोहा	ग्राम-जलीलपुर मुलकटा, पोस्ट-महेशरी, जिला- अमरोहा, उ0प्र0-244236	रामपुर
4	3481302	पवन कुमार सिंह	राम खेलावन	03.05.1991	बाराबंकी	268, राम नगर, ऐशबाग खजुहा, नियर- धोबीघाट, लखनऊ उ0प्र0-226004 ग्राम व पोस्ट-बबुरी गांव, थाना-देवा शरीफ, तहसील-नवाबगंज, जिला बाराबंकी, उ0प्र0-225301	फैजाबाद

5	3176247	नितिन कुमार	मथुरा प्रसाद	17.07.1994	बदायूँ	जेल लाइन, निकट मुख्य डाकघर, बदायूँ, थाना- सिविल लाइन, जनपद बदायूँ, उ०प्र०-243601	शाहजहांपुर
6	2011777	विकास कुमार	हरी सिंह	24.09.1990	बिजनौर	ग्राम-फतेहपुर उर्फ उदुपुरा, पोस्ट-धामपुर, थाना- धामपुर, जिला-बिजनौर, उ०प्र०-246761	सहारनपुर
7	1433685	राजेश कुमार	कपिल देव सिंह	20.01.1994	पटना (बिहार)	ग्राम-कर्जन, पोस्ट-कर्जन, अथमल गोला, थाना- अथमल गोला, जिला- पटना, बिहार-803211	मथुरा
8	1879662	अरूण कुमार श्रीवास्तव	सत्य प्रकाश श्रीवास्तव	20.07.1991	बस्ती	ग्राम व पोस्ट-गनेशपुर, थाना-वल्तरगंज, जिला- बस्ती, उ०प्र०-272001	सिद्धार्थनगर
9	1488347	निरंजन यादव	कन्हैया लाल यादव	31.08.1994	बस्ती	ग्राम-खतमसराय, पोस्ट-बेलवा बाघनला, थाना-छौनी, जिला-बस्ती, उ०प्र०-272129	सिद्धार्थनगर
10	3761856	उसमान खान	अय्यूब खान	07.07.1993	बुलन्दशहर	ग्राम व पोस्ट-परतापुर, जिला- बुलन्दशहर, उ०प्र०- 245411	हापुड़
11	3689086	ज्ञानेन्द्र सिंह	अजीत पाल सिंह	14.07.1992	हरदोई	ग्राम-हेतमपुरवा, पोस्ट-टड़ियावां, जिला- हरदोई, उ०प्र०-241001	शाहजहांपुर
12	3718476	अजीत सिंह	मुन्नू सिंह यादव	25.12.1987	कानपुरनगर	ग्राम-मोतीपुर, पोस्ट-कुलगांव, जिला- कानपुरनगर-208010	हमीरपुर
13	1221004	जय प्रकाश	बृजमाहेन	18.06.1992	मथुरा	ग्राम-गोविन्द, पोस्ट-अरिग, थाना-थानाहाईवे, जिला- मथुरा, उ०प्र०-281501	फिरोजाबाद
14	3363260	विनीत कुमार	राजेन्द्र सिंह	07.07.1994	मथुरा	ग्राम-नगला थाना, पोस्ट- सौख खेड़ा, थाना-राया, तहसील-महावन, जिला- मथुरा, उ०प्र०-281308	फिरोजाबाद
15	3365641	विशाल कुमार	भगवती प्रसाद	10.07.1994	मथुरा	हनुमान नगर राया रोड, सिंडिकेट बैंक के पास (मथुरा), पोस्ट-लोहवन, जिला- मथुरा, उ०प्र०-281001	फिरोजाबाद
16	3161004	सत्यवीर	जगदीश	01.02.1991	रामपुर	ग्राम-रम्पुरा, पोस्ट व तहसील- शाहबाद, जिला- रामपुर, उ०प्र०-244922	शाहजहांपुर

4. जनपद स्तर पर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की तैयार की गयी चरित्र सत्यापन पत्रावली एवं उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ०एम०आर० आवेदन पत्र एवं ओ०एम०आर० आवेदन पत्र की प्रतिकृति में दी गयी सूचना एवं अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का मिलान करा लिया जाय तथा अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों को भी चेक करा लिया जाय। तत्पश्चात् सही पाये गये अभ्यर्थियों की आमद/नियुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। यदि किसी अभ्यर्थी के फोटोग्राफ, उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं प्रमाण पत्रों में भिन्नता एवं प्रतिकूलता हो तो उस अभ्यर्थी की आमद जनपद में कदापि न की जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को अवगत कराते हुए अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय।

5. पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ०प्र० के पत्र संख्या: दस-51-2013(116), दिनांक 17.05.2016 दिये गये निर्देशों के अनुसार "जेटीसी प्रशिक्षण हेतु आमद करने वाले सभी अभ्यर्थियों से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा कि यदि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2013 के घोषित चयन परिणाम के विरुद्ध कोई निर्णय लिया जाता है, जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सेवा परिवर्तित हो सकती है, तथा कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को ऐसे निर्णय से होने वाले परिवर्तन स्वीकार होंगे और उन्हें इसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। अभ्यर्थियों से भराये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

6. उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की दिनांक 15.12.2016 से जनपद में आमद कराकर उन्हें सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

7. फायरमैन के पद नियुक्ति का प्रारूप संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं ओ०एम०आर० आवेदन पत्र की प्रतिकृति में दी सूचना के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाय।

8. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या: दस-51-2013, दिनांक 13.01.2016 में अंकित है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होता है तो उनका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पुलिस मुख्यालय एवं इस मुख्यालय को भी अवगत कराया जाय।

9. अभ्यर्थीगण अपने साथ उ०प्र० पुलिस के वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर इस संबंध में दिये गये प्रारूप 1 एवं 2 में क्रमशः रू० 32/- एवं 42/- के नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र अंकित कराकर तथा नोटरी से उन शपथ-पत्रों को सत्यापित कराकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र० द्वारा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराये गये नर्देश उ०प्र० पुलिस के वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> के फायर सर्विस के सरकुलर पर उपलब्ध है। इस प्रशिक्षण हेतु केन्द्र तक की यात्रा के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र प्रमुख द्वारा प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद एवं फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का		पिता का नाम	गृह जनपद	चरित्र सत्यापन का जनपद	जनपद में आगमन की तिथि
	अनुक्रमांक	नाम				
1	2	3	4	5	6	7

11. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त समस्त कार्यवाही/चयन प्रक्रिया के संबंध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश के अधीन रहेगा।

12. जनपद/प्रशिक्षण संस्थान रंगरूटों को किट प्रदान किये जाने, उनकी वर्दी सिलवाने, अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार PRAN No आवंटित कराने एवं उनकी पास-बुक समय से पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- (1) फायरमैन के पद पर नियुक्ति का प्रारूप।

(2) प्रारूप 1 एवं 2 (नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र हेतु)।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक(अधिष्ठान/बजट)
नि०-पुलिस महानिदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर सचिव भर्ती, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ०प्र०।
5. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद/अमरोहा/बाराबंकी/बदायूं/बिजनौर/वाराणसी/बस्ती/बुलन्दशहर/हरदोई/कानपुरनगर/मथुरा/रामपुर, प्रभारी जनपद उ०प्र० को इस आशय से कि अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन उनके द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया गया, को अपने स्तर से भी आवंटित जनपद में समय से एवं समस्त निर्देशों/अभिलेखों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: उक्त समस्त अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने नाम के सम्मुख आवंटित जनपद में निर्धारित तिथि, अभिलेखों तथा प्रारूप 1 एवं 2 (नान-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र) एवं बुलावा पत्र के साथ संबंधित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, को अपनी उपस्थिति/योगदान प्रस्तुत करें।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद.....।

संख्या-

दिनांक: 2016

सेवा में,

(अभ्यर्थी का नाम व
पता लिखा जाय)

विषय :- प्रशिक्षण सत्र 2015-16 में फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का फायरमैन के पद पर बेसिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण संस्थान/जनपद में उपस्थित होने के संबंध में।

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-पीआरबी:अनु0-6-प-06/2015, दिनांक 20.11.2015 द्वारा 1145 चयनित अभ्यर्थियों की बुकलेट संलग्न कर अवगत कराया गया है कि इन 1145 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम अपरिवर्तनीय है। इस सूची में फायरमैन के पद हेतु श्रेष्ठताक्रम मेंअभ्यर्थीगण है। उक्त परिणाम एवं चरित्र सत्यापन से उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप आपको फायरमैन पद के बेसिक प्रशिक्षण हेतु जनपद/संस्थान..... आवंटित किया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आवंटित जनपद/प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक ... को विलम्बतम अपराह्न..... बजे तक अपने आगमन की सूचना दे दें।

2. आप अपने साथ प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी। उसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की वेबसाइट पर इस संबंध में दिये गये प्रारूप 1 एवं 2 में क्रमशः रू0 32/- एवं रू0 42/- के नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित जनपद/ प्रशिक्षण संस्थान का प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्देश उ0प्र0 फायर सर्विस की वेबसाइट www.upfireservice.gov.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट से आप संबंधित निर्देश डाउनलोड कर तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. जनपद/प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों को पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4. उक्त प्रशिक्षण एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के संबंध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

(नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद-.....।

मूल पर नहीं।

प्रतिलिपि: जनपद/संस्थान प्रमुख..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

फायरमैन के पद पर नियुक्ति का प्रारूप

उ०प्र० अग्निशमन अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, के प्रावधानों के अनुसार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अधिवाचित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी एवं फायरमैन पदों पर भर्ती-2013 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी..... अनुक्रमांक..... पुत्र श्री निवासी ग्राम..... पोस्ट..... थाना-..... तहसील जिला..... (पिन कोड नं०.....) को फायरमैन पद पर नियुक्ति हेतु संयुक्त निदेशक(अधि०/बजट), नि० पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक दिनांक..... द्वारा जनपद..... आवंटित किया गया है।

2. अतः अभ्यर्थी..... अनुक्रमांक..... पुत्र श्री निवासी ग्राम..... पोस्ट..... थाना-..... तहसील जिला..... (पिन कोड नं०.....) को उ०प्र० अग्निशमन अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित) के अधीन रिक्त फायरमैन के पद पर अस्थायी रूप से जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाती है। इन्हें नियमानुसार अनुमन्य पे-बैंड रू० 5,200-20,200 ग्रेड पे 2,000/- के अनुसार प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी होगी जो कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उक्त अभ्यर्थी को जनपद में ही रखकर प्रारम्भिक अग्निशमन प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।

(नियुक्तकर्ता अधिकारी का नाम)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद-.....।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद.....।

संख्या-

दिनांक 2016

प्रतिलिपि :-

- प्रतिसार निरीक्षक को हिन्दी आदेश पुस्तिका में अंकन करने तथा उक्त रिक्त फायरमैन की भर्ती एवं प्रशिक्षण संबंधी सभी कार्य समय से पूर्ण कराने, सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु।
2. आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अभ्यर्थी..... अनुक्रमांक..... पुत्र श्री निवासी ग्राम..... पोस्ट..... थाना-..... तहसील जिला..... (पिन कोड नं०.....) को अनुपालनार्थ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिरीक्षक-प्रशिक्षण, उ०प्र० पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक..... जौन.....।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक..... परिक्षेत्र.....।
4. संयुक्त निदेशक(अधि०/बजट), नि० पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ को उनके पत्र संख्या-..... दिनांक के संदर्भ में।

परिशिष्ट "ख" (1)

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज-सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा नियमानुसार अनुमन्य वेतन प्रशिक्षण काल में दिया जायेगा, के संबंध में अभ्यर्थी (रिक्रूट) के माता, पिता संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूंकि मैं आत्मज श्री जिला..... का निवासी हूँ और चूंकि पुलिस सेवा हेतु प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ सामान्य अग्निशमन प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिये उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में नर्ती हेतु आत्मज श्री..... निवासी..... को चयनित किया गया है और उसने सरकार की सेवा को वरण किया है। अतएव यह बन्ध-पत्र दिनांक जो उक्त के निमित्त प्रतिभू..... प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त..... के उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त इस बन्ध के दिनांक से उक्त संस्थान में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए तब तक रहेगी जब तक संयुक्त निदेशक(अधि०/बजट), नि० पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० या उक्त संस्थान के प्रमुख उसे अपना प्रशिक्षण छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें और वह उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे दृश्य से पालन करेगा। उक्त का उक्त अवस्था कि उक्त..... अभ्यर्थी (रिक्रूट)

1. उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा फायरमैन रिक्रूट की परीक्षा पास न करे।
2. प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे।
3. दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4. उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थियों (रिक्रूट्स) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करे अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
5. प्रशिक्षण के पश्चात् 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
6. साज-सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
7. उक्त संस्थान के प्रमुख द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संतोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किये जाये तो ऊपरलिखित किसी भी दशा में उक्त रिक्रूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये बचनबद्ध हैं :-
 - 1- वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के संबंध में उससे देय पायी जावें।
 - 2- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जाय।
 - 3- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।
 - 4- और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा, कि उक्त धनराशि रिक्रूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण-पत्र पर जो उक्त रिक्रूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा माल गुजारी की भांति वसूल होगा।

साक्षी

1-.....

2-.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....

परिशिष्ट "ख" (2)

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिये बन्ध पत्र

मैं..... आत्मज श्री..... जिला.....
..... का निवासी हूँ। स्थित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष
में चुना गया हूँ। (जिसे आगे रिक्कूट फायरमैन कहा गया है)

उक्त रिक्कूट राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रभारी द्वारा समय-समय पर जो भी साज-सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दे, और जिसके मूल्य के संबंध में उसे यथा समय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किस्तों में कर देगा इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाये, वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त रिक्कूट को त्याग पत्र देने, प्रशिक्षण बन्द कर देने या पदच्युत किये जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त संस्थान के प्रमुख ने उसे संस्थान में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कौटेज स्टोर से मिले हो, अपने पास रखे या वह उन्हें ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त संस्थान प्रमुख/प्रभारी निश्चित करें, संस्थान प्रमुख के हाथ बेच सकता है।

उक्त रिक्कूट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वह :-

1. उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि विहित प्रशिक्षण की परीक्षा पास न करे।
2. प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
3. दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4. प्रशिक्षण काल में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, फायर सर्विस उ0प्र0 अथवा उक्त संस्थान के प्रमुख/प्रभारी की बिना पूर्व अनुमति के उक्त संस्थान छोड़कर चला जाय या प्रशिक्षण बन्द कर दे।
5. उक्त संस्थान से संबंधित अभ्यर्थिया (रिक्कूट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त संस्थान से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
6. प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग-पत्र दे दें।
7. साज-सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
8. उक्त संस्थान के प्रमुख/प्रभारी द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संतोषजनक न पाये जाने पर संस्थान से बहिष्कृत या पृथक किया जाये तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त रिक्कूट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है :-
 - 1- वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के संबंध में उससे देय पायी जाय।
 - 2- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे नियमानुसार अनुमन्य वेतन के रूप में दी जावे।
 - 3- वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त रिक्कूट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण पत्र पर जो उक्त रिक्कूट पर बाध्यकर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भांति वसूल होगा।

साक्षी

1-.....

2-.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....

**रू0 10/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर लिये जाने वाले
शपथ पत्र का प्रारूप**

नाम..... अनुक्रमांक (आरक्षी भर्ती 2013 का)..... जन्म-तिथि
..... पुत्र श्री..... निवासी.....थाना.....
.....जनपद..... का शपथ पत्र।

मैं..... उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ :-

- (1) यह कि उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013 में फायरमैन के पद पर प्रशिक्षण के लिये मेरा चयन हुआ है, जिसके लिये मुझे बुलावा पत्र भेजा गया है।
- (2) यह कि चरित्र सत्यापन वाले जनपद द्वारा मुझे भेजे गये बुलावा पत्र में किये गये उल्लेख “उक्त प्रशिक्षण (फायरमैन पद का बेसिक प्रशिक्षण) एवं उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया (आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, 2013)के संबंध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा” को मैंने ठीक से पढ़ा है जिसकी मुझे भली-भांति जानकारी है।
- (3) मैं यह भली-भांति जानता हूँ कि यदि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के स्तर से आरक्षी एवं समकक्ष पदों (फायरमैन) पर सीधी भर्ती, 2013 के घोषित चयन परिणाम के विरुद्ध कोई भी निर्णय दिया जा सकता है जिससे कुछ अभ्यर्थियों की सर्विस (सेवा) परिवर्तित हो सकती है तथा मेरिट लिस्ट के कुछ अभ्यर्थी चयन परिणाम से बाहर भी हो सकते हैं। मा0 न्यायालय के ऐसे निर्णय से यदि फायरमैन के पद से मेरी सेवा आरक्षी पुलिस या आरक्षी पीएसी के पद हेतु परिवर्तित होती है अथवा मेरा नाम चयन परिणाम से बाहर हो जाता है तो तदनुसार की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी और उसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

शपथकर्ता

मैं उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि इस पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य एवं सही है, इस शपथ पत्र के प्रस्तर..... में उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित है और जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वे भी सत्य है, इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। अस्तु ईश्वर मेरी रक्षा करे।

अभिसाक्षी

आज दिनांक..... को पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता